

पंजीयन संख्या 26.93
दिनांक 26.09.2019

राजस्थान सरकार
प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गोशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री महं महकाओं संस्थान, जैसलमेर
ग्राम सुदराऊ पोस्ट नेहडाई
तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री उस्मान खां (अध्यक्ष) न्यासी (ट्रस्टी)
गोशाला श्री महं महकाओं संस्थान, जैसलमेर ने राजस्थान
गोशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 मन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक दशमी माह मार्च वर्ष दो हजार अठारह

रजिस्ट्रार गोशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गोशाला पंजीयन एवं नस्ल सुधार कम गोशाला विकास अधिकारी
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर)